(5)

प्र.स.:— 06 / 2021
दायर दिनांक:— 22.10.2021
निर्णय दिनांक :— 23.11.2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :— श्रीमती मिथलेश मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :— 06 / 2021

प्रकरण दायर दिनांक :— 22.10.2021

बद्रीनारायण पुत्र श्री भूराराम जाति माली निवासी बंधावाली ढाणी रजवास शेरसिंह तहसील लवाण जिला दौसा।

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

बाबत राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती हेतु।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, लवाण ... सत्यमेव जयते

उपस्थिति :— श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
सरकारी पेरोकार।

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है —

1. वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 297 रकबा 1.52 है0 भूमि वाके ग्राम मूसोलाई में स्थित है उक्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 297 के साबिक खसरा नम्बर 85 / 9 रकबां 6 बीघा 12 बिस्वा थे। वादी का मौजूदा नम्बर की जमाबंदी की नकल व मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत है। वादी ने साबिक खसरा नम्बर 85 / 9 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा भूमि को उसके तत्कालीन खातेदार मीर खां से बिल एवज 3500 / रूपये में दिनांक 14.10.1977 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या ... भरा गया जिसमे भी बाबूलाल के साथ वादी बद्री का नाम दर्ज है। विक्रय पत्र की कॉपी व नामान्तरकरण की कॉपी प्रस्तुत है। बाबूलाल, नानगराम व वादी गेंदालाल, मुलचन्द के पिता का नाम भूरया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.19 16:23:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:– 06/2021
दायर दिनांक:– 22.10.2021
निर्णय दिनांक :– 23.11.2022

2. नई जमाबंदी खसरा नम्बर 297 की जो बनाई गई उसमे बाबूलाल, नानगराम के साथ बद्री का नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन सहवन से बद्री की जगह हरि का नाम दर्ज हो गया। वादी का नाम बद्री था। रजिस्ट्री में बद्री दर्ज है नामान्तरकरण में बद्री दर्ज है, फिर हरि का नाम शायद सहवन से दर्ज हो गया। मौजूदा जमाबन्दी में हरि की जगह बद्री का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. साबिक खसरा नम्बर 85/9 के रजिस्ट्री में भी वादी का नाम बद्री दर्ज है व नामान्तरकरण जो खोला गया उसमें भी वादी का नाम बद्री दर्ज है फिर गलत तौर पर बद्री की जगह मौजूदा जमाबन्दी में हरि का नाम दर्ज कर दिया गया। इसलिए मौजूदा जमाबन्दी में हरि पि. भूरा दर्ज है जिसकी जगह बद्री पि. भूरा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

4. वादी का आधारकार्ड बद्रीनारायण पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है। पारिवारिक राशनकार्ड में बद्री पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है। चुनाव आयोग के पहचान पत्र में बद्री पुत्र भूराराम दर्ज है व भामाशाह कार्ड में भी वादी की पत्नि कमली देवी के साथ पति के रूप में बद्रीनारायण दर्ज है। वादी की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 274, 275 भी मूसोलाई में स्थित है उक्त भूमि की जमाबंदी में भी बाबूलाल, नानगराम के साथ बद्री नाम दर्ज है। अन्य भूमि में जब बद्री का नाम खातेदारी में दर्ज है तो खसरा नम्बर 297 मे भी मौजूदा समय हरि की जगह बद्री का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण में ग्राम मूसोलाई पटवार हल्का खानपुरा की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता सं. 28 में दर्ज खसरा नम्बर 274 व 275 की खातेदारी बाबूलाल, नानगराम, बद्री, गेंदालाल, मूलचन्द पि. भूरया जाति माली हि. 1/2 स.भा., पीरबक्श पि. ईदया हि. 1/12, बाबूलाल, बद्री, गेंदालाल, मूलचन्द पि. भूरया जाति माली हि. 1/8 , प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना सा. जयरामपुरा का बास तह. बस्सी हि. 1/24, प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण हि. 1/12, श्रीनारायण पुत्र लक्ष्मण हि. 1/6 कोम मीना सा. जयरामपुरा तह. बस्सी खातेदार दर्ज है। जिसके खातेदार बाबूलाल, नानगा पि. भूरया जो कि बद्री पुत्र भूरया के सह खातेदारो ने अपने बयानो में कथन किया है कि हरि पुत्र भूरा के स्थान पर बद्री [illegible] दुरूस्ती किया जाता है, तो हम सह खातेदारो को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:23:46 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण में पैरोकार सरकार ने अपने [illegible] भू.अ./2022/530 दिनांक 09.03.2022 द्वारा ग्राम मूसोलाई के साबिक खसरा नम्बर 85/9 [illegible]रिये विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1977 को

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्र.स.:— 06 / 2021
दायर दिनांक:— 22.10.2021
निर्णय दिनांक :— 23.11.2022

बाबूलाल, नानगराम, बदरी पि0 भूरा कौम माली सा0 रजवास ने क्रय किया था। जिसका विक्रय का नामा0 34 दिनांक 06.12.1978 द्वारा बाबूलाल, नानगराम, बदरी पिसरान भूरा कौम माली नि0 रजवास के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ था। बरवक्त बन्दोबस्त साबिक ख0नं0 85 / 9 का नया नम्बर 297 रकबा 1.52 है0 बाबूलाल, नानगराम, हरी पि0 भूरा कौम माली सा0 रजवास के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार बदरी के स्थान पर हरी नाम दर्ज हो गया। विक्रय पत्र नामा0 विक्रय व पर्चा लगान बन्दोवस्त के आधार पर रिपोर्ट प्रेषित है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, बयानात सह खातेदार बाबूलाल पुत्र भूरा, नानगाराम पुत्र भूरा का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम मूसोलाई पटवार हल्का खानपुरा की जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता सं. 26 मे दर्ज खसरा नम्बर 297 की खातेदारी बाबूलाल, नानगराम, हरि पि. भूरा कोम माली सा. रजवास के नाम दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2041 से 2060 ग्राम मूसोलाई के साबिक खसरा नम्बर 85 / 9 रकबा 6 बीघा 12 बीस्वा के हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 1.52 है0। रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.1977 में बाबूलाल, नानगराम, बदरी पि. भूरा जाति माली निवासी रजवास शेरसिंह ने विक्रेता मीर खां पुत्र चांद खां निवासी मुसोलाई से खसरा नम्बर 85 / 9 रकबा 6 बीघा 12 बीस्वा भूमि क्रय की गई। जिसका नामान्तरकरण संख्या—34 दिनांक 06.12.1978 को बाबूलाल, नानगराम, बद्री पि. भूरा जाति माली नि. रजवास शेरसिंह के नाम स्वीकार किया गया। चूंकि ग्राम मूसोलाई पटवार हल्का खानपुरा की जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता सं. 28 में दर्ज खसरा नम्बर 274 व 275 की खातेदारी बाबूलाल, नानगराम, बद्री, गेंदालाल, मूलचन्द पि. भूरया जाति माली हि. 1 / 2 स.भा., पीरबक्श पि. ईदया हि. 1 / 12 , बाबूलाल, बद्री, गेंदालाल, मूलचन्द पि. भूरया जाति माली हि. 1 / 8 , प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना सा. जयरामपुरा का बास तह. बस्सी हि. 1 / 24, प्रहलाद पुत्र लक्ष्मण हि. 1 / 12, श्रीनारायण पुत्र लक्ष्मण हि. 1 / 6 कोम मीना सा. जयरामपुरा तह. बस्सी खातेदार दर्ज है। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा भू—प्रबन्ध किया जाकर, साबिक खसरा नम्बर 85 / 9 का हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 1.52 है0 दर्ज किये जाने के दौरान बाबूलाल, नानगराम, हरी पि. भूरा कौम माली सा0 रजवास के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार तहसीलदार लवाण की अभिशंषा एवं पत्राली पर उपलब्ध रिकार्ड में ... कार्ड बद्रीनारायण पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है, पारिवारिक राशनकार्ड में बद्री पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है, चुनाव आयोग के पहचान पत्र में बद्री पुत्र भूराराम दर्ज है व भामाशाह कार्ड में भी वादी की पत्नि कमली देवी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:43:46 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

साथ पति के रूप में बद्रीनारायण दर्ज है। वादी की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 274, 275 भी मूसोलाई में स्थित है उक्त भूमि की जमाबंदी में भी बाबूलाल, नानगराम के साथ बद्री नाम दर्ज है। अन्य भूमि में जब बद्री का नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार बदरी के स्थान पर हरी का नाम सहवन से दर्ज हो गया। उक्त सभी तथ्यों के अनुसार ग्राम मुसोलाई की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खात संख्या 26 में दर्ज बाबूलाल, नानगराम, हरि पि. भूरा कोम माली सा. रजवास के स्थान पर बाबूलाल, नानगराम, बद्री पि. भूरा कोम माली सा. रजवास दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो ग्राम मुसोलाई की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 26 में हरि पुत्र भूरया के स्थान पर बद्री पुत्र भूरया दर्ज किया जावे। आदेशो की पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

मिथलेश मीना (आर.ए.एस.)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
लवाण
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.10 16:23:46 IST
Reason: SelfAttested